रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260802 CG-DL-E-08022025-260802

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2025/माघ 15, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025/MAGHA 15, 1946

No. 811

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

सा.का.िन. 114(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, समूह 'ग' गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पद भर्ती नियम, 2018 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ सिचवालय सहायक, आशुलिपिक, स्वागतकर्ता, किनष्ठ सिचवालय सहायक, ज्येष्ठ रिप्रोग्राफर, जेरोक्स ऑपरेटर, सवार हरकारा, ज्येष्ठ अभिलेखपाल, और बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वरिष्ठ सिचवालय सहायक, आशुलिपिक, स्वागतकर्ता, किष्ठ सिचवालय सहायक, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर, जेरोक्स ऑपरेटर, सवार हरकारा, वरिष्ठ अभिलेखपाल, और बहुकार्य कर्मचारिवृंद के समूह 'ग' गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती की पध्दित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ग', गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना. ये नियम, इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे,
 जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

900 GI/2025 (1)

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता**. वह व्यक्ति, -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. **शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह** उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, **आदेश** द्वारा **शिथिल कर सकेगी।**
- 7. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पदों का नाम। | पदों की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. वरिष्ठ सचिवालय सहायक। | *59 (2025) *कार्यभार के | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रु. 25500- 81100)। | अचयन। | 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के | सीधे भर्ती किए जाने | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य | वाले व्यक्तियों के लिए | यदि कोई हो। | होगी या प्रोन्नति द्वारा या |
| अर्हताएं। | विहित आयु और | · | प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा |
| | शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत | | तथा विभिन्न पद्धतियों |
| | व्यक्तियों की दशा में | | द्वारा भरी जाने वाली |
| | लागू होगी या नहीं। | | रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से | लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए जाने | (i) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति |
| स्नातक; और | | वाले व्यक्तियों के लिए | द्वारा; |
| | | दो वर्ष। | |
| (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति | | | (ii) तीस प्रतिशत सीमित |
| मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट | | टिप्पण: परिवीक्षा को | विभागीय प्रतियोगिता |
| की टंकण गति। | | सफलतापूर्वक पूरा | परीक्षा द्वारा; |
| | | करने के लिए केंद्रीय | |

| (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन्स के | | सरकार ह | रारा (iii) तीस प्रतिशत सीधी |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|
| औसत पर 10500 की डिग्रेशन प्रति | | यथाविहित कम | |
| घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के | | कम दो सप्ताह | |
| अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 | | ु । अवधि का प्र | |
| शब्द प्रति मिनट) | | प्रशिक्षण अनि | |
| राष्ट्र प्रात मिनट) | | _ | 714 |
| 4. 2-11 - 2-12 | | होगा। | |
| टिप्पण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी या | | | |
| हिंदी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है। | | | |
| भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या | | | |
| हिंदी का विकल्प दिया जाता है। यदि | | | |
| भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हिंदी | | | |
| का ज्ञान नहीं है, तो उसको अपनी | | | |
| परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे अर्जित | | | |
| करना अपेक्षित होगा। | | | |
| | | | |
| टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित | | | |
| अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए | | | |
| जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन | | | |
| आयोग या सक्षम प्राधिकारी के | | | |
| विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | | | |
| | | | |
| टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं | | | |
| कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए | | | |
| कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम | | | |
| प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित | | | |
| जातियों और अनुसूचित जनजातियों के | | | |
| अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की | | | |
| | | | |
| जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम | | | |
| पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम | | | |
| प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए | | | |
| आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए | | | |
| अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन | | | |
| समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या | | | |
| में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | | |
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा | यदि विभागीय प्रोन्नित | ते समिति है, तो | भर्ती करने में किन परिस्थितियों |
| भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे | उसकी संरचना। | | में संघ लोक सेवा आयोग से |
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया | | | परामर्श किया जाएगा। |
| जाएगा। | | | |
| (11) | (12) | | (13) |
| प्रोन्नति: | समूह 'ग' विभागीय | प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता। |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900- | (प्रोन्निति के संबंध में विच | | |
| 63200 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय | जिसमें निम्नलि | | |
| सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की | | ` | |
| नियमित सेवा की है और समय-समय पर | 1. निदेशक या उप र्सा | चेव (कार्मिक) या | |
| यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में | | | |
| दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा | प्रौद्योगिकी मंत्रालय | • | |
| किया हो। | | -10-141, | |
| 1611 611 | 1 | | |

टिप्पण 1: *जहां* ऐसे *कनिष्ठ* व्यक्तियों के | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना जिन्होंने अपनी अर्हक या संबंध में. पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्निति के *लिए विचार किया जा रहा* हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित. जिन्होंने ऐसी अर्हक या *पात्रता* सेवा पहले ही परी कर ली है. अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए *अपनी* परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाः

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रुपये) ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति की समाप्ति की तारीख पर समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी।

टिप्पण 2: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम. 2025 के उपबंधों के अनुसार संचालित होगी।

टिप्पण 3: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी यदि पहले से टंकण उत्तीर्ण नहीं की हो तो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्तंभ (7) के खंड (ii) में

- प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या समतुल्य सदस्य।

समृह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या समतुल्य सदस्य।

यथाविहित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा जिसके न हो सकने पर तब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक की वे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुसंगत नियमों के अधीन छूट नहीं दी जाती।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2. आशुलिपिक। | *47 (2025) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 | लागू नहीं |
| | | समूह ग, अराजपत्रित, | (रु. 25500-81100) । | होता। |
| | *कार्यभार के आधार | अनुसचिवीय। | | |
| | पर परिवर्तन किया | | | |
| | जा सकता है। | | | |

| 6. | 7. | 8. | 9. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या | लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय | विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा | | जाने वाले व्यक्तियों |
| पर जारी किए गए अनुदेशों या | उत्तीर्ण या समकक्ष; और | | के लिए दो वर्ष। |
| आदेशों के अनुसार विभागीय | (ii) कौशल परीक्षा मानदंड - | | |
| अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष | श्रुतलेख: 10 मिनट में 80 शब्द | | |
| तक शिथिल की जा सकती है।) | प्रति मिनट की गति, प्रतिलेखन | | |
| | 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट | | |
| टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित | (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)। | | |
| करने के लिए निर्णायक तारीख वह | , | | |
| होगी जो कर्मचारी चयन आयोग | टिप्पण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी | | |
| द्वारा विज्ञापित की जाए। | या हिंदी या दोनों का ज्ञान | | |
| | आवश्यक है। भर्ती के समय | | |
| | अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी | | |
| | का विकल्प दिया जाता है। यदि | | |
| | भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को | | |
| | हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको | | |
| | अपनी परिवीक्षा अवधि के | | |
| | दौरान उसे अर्जित करना | | |
| | अपेक्षित होगा। | | |
| | | | |
| | टिप्पणी 2: अर्हताएं, अन्यथा | | |
| | सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में | | |
| | कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए | | |
| | जाए कर्मचारी चयन आयोग या | | |
| | सक्षम प्राधिकारी के | | |
| | विवेकानुसार शिथिल की जा | | |
| | सकती है। | | |
| | 4 61 | | |
| | टिप्पण 3: अनुभव संबंधी | | |
| | अर्हताएं कारणों के लिए जो | | |
| | लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी | | |
| | चयन आयोग या सक्षम | | |
| | प्राधिकारी के विवेकानुसार | | |
| | त्राजिकारा के विषयमपुर्वार | | |

| |
|------------------------------------|
| अनुसूचित जातियों और |
| अनुसूचित जनजातियों के |
| अभ्यर्थियों की दशा में तब |
| शिथिल की जा सकती है जब |
| चयन के किसी प्रक्रम पर |
| कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम |
| प्राधिकारी की यह राय है कि |
| उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को |
| भरने के लिए अपेक्षित अनुभव |
| रखने वाले उन समुदायों के |
| अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में |
| उपलब्ध होने की संभावना नहीं |
| है। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा। | लागू नहीं होता। | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | लागू नहीं होता। |
| | | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय- अध्यक्ष; | |
| | | अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; | |
| | | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या समतुल्य - सदस्य। | |
| | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 3. स्वागतकर्ता। | *1 (2025) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 | लागू नहीं होता। |
| | | समूह ग, अराजपत्रित, | (रु. 25500-81100) । | |
| | *कार्यभार के आधार | अननुसचिवीय। | | |
| | पर परिवर्तन किया | | | |
| | जा सकता है। | | | |

| 6. | 7. | 8. | 9. |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागु नहीं होता। | दो वर्ष। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रतिनियुक्ति: | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि | लागू नहीं होता। |
| या सशस्त्र बल | केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, - | के संबंध में विचार करने के लिए) | |
| कार्मिक के लिए | | जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | |
| पुनर्नियोजन द्वारा। | (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में | · | |
| | नियमित आधार पर सदृश पद | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या | |
| | धारण किए हुए हैं; या | उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना | |
| | - | प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; | |

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की है और जो अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं; और
- (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्: -
- (i) जो अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं।
- (ii) कंप्यूटर प्रचालन जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग और प्रचालन, शब्द प्रस्संकरण, इंटरनेट और ई-मेलिंग का ज्ञान।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

- 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;
- 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या समतुल्य सदस्य।

(1) (2) (3) (4) (5)

| 4. कनिष्ठ सचिवालय | | साधारण केन्द्रीय सेवा, | | अचयन। |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| सहायक। | | समूह ग, अराजपत्रित, | स्तर- 2 (रु. 19900- | |
| | *कार्यभार के आधार पर | अनुसचिवीय। | 63200)। | |
| | परिवर्तन किया जा | | | |
| | सकता है। | | | |

| | | - | - |
|--|---|---|--|
| (0) | (7) | (0) | (0) |
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण; और | जी हा, स्तभ (7) के अधीन उपदर्शित विस्तार तक। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। | (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन्स के औसत पर 10500 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा। 9000 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। | | टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। |
| | टिप्पण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है। भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया जाता है। यदि भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको अपनी परिवीक्षा अविध के दौरान उसे अर्जित करना अपेक्षित होगा। | | |
| | टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | | |
| | टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब | | |

| शिथिल की जा सकती है जब | |
|---------------------------------|--|
| चयन के किसी प्रक्रम पर | |
| कर्मचारी चयन आयोग या | |
| सक्षम प्राधिकारी की यह राय | |
| है कि उनके लिए आरक्षित | |
| रिक्तियों को भरने के लिए | |
| अपेक्षित अनुभव रखने वाले | |
| उन समुदायों के अभ्यर्थियों के | |
| पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने | |
| की संभावना नहीं है। | |

(11)(12)(13)(10)समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति पचास प्रतिशत प्रोन्नति: लागु नहीं होता। सीधी भर्ती द्वारा। (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के (क) वेतन मैटिक्स के स्तर -1 लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-तीस प्रतिशत (18000-56900 रुपये) में ऐसे (ii) सीमित विभागीय बहुकार्य कर्मचारिवृंद जिन्होंने 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या परीक्षा प्रतियोगिता उस श्रेणी में तीन वर्ष की उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना द्वारा: और नियमित सेवा की है और समय-प्रौद्योगिकी मंत्रालय अध्यक्ष: समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत (iii) बीस प्रतिशत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और प्रोन्नति द्वारा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; किया हो। 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (ख) स्तंभ (7) के खंड (i) के मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या हैं। समतुल्य - सदस्य। *टिप्पण* 1: *जहां* ऐसे *कनिष्ठ* समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि व्यक्तियों के संबंध में. *जिन्होंने* के संबंध में विचार करने के लिए) अपनी अर्हक या पात्रता सेवा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए *विचार किया जा रहा* हो. वहां 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना भी *विचार किया जाएगा* परंत् प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष: यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; सेवा के *आधे से अधिक* से *या दो* वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो. 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या ऐसी अर्हक या *पात्रता सेवा* समतुल्य सदस्य। पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों

को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए नियुक्ति किए गए कनिष्ठ सचिवालय सहायक को नियक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्तंभ 7 के खंड (ii) में यथाउपबंधित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा जिसके न हो सकने पर तब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि वे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुसंगत नियमों के अधीन छूट नहीं दी जाती।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाः

- (i) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-56900 रुपये) ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति की समाप्ति की अंतिम तारीख को समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।
- (ii) परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष होगी।
- (iii) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती के लिए निहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। टिप्पण 2: सीमित विभागीय

| प्रतियोगिता परीक्षा सीमित | |
|---------------------------------|--|
| विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा | |
| नियम, 2025 के उपबंधों के | |
| अनुसार संचालित होगी। | |
| | |
| टिप्पण 3: सीमित विभागीय | |
| प्रतियोगिता परीक्षा के आधार | |
| पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को | |
| टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी | |
| यदि पहले से टंकण उत्तीर्ण नहीं | |
| की हो तो नियुक्ति की तारीख से | |
| एक वर्ष की अवधि के भीतर | |
| स्तंभ (7) के खंड (ii) में | |
| यथाविहित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण | |
| करना होगा जिसके न हो सकने | |
| पर तब तक उनकी वार्षिक वेतन | |
| वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी | |
| जब तक की वे उक्त परीक्षा में | |
| उत्तीर्ण नहीं हो जाते या सक्षम | |
| प्राधिकारी के अनुमोदन से | |
| सुसंगत नियमों के अधीन छूट | |
| नहीं दी जाती। | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------|
| 5. वरिष्ठ रिप्रोग्राफर । | *2 (2025) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | | 4 अचयन। |
| | | समूह ग, अराजपत्रित, | (रु. 25500-81100) । | |
| | *कार्यभार के आधार | अननुसचिवीय। | | |
| | पर परिवर्तन किया | | | |
| | जा सकता है। | | | |
| (6) | (7) | (8) | | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता | । दे | ा वर्ष। |

| | T | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति द्वारा, | प्रोन्नति: | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता। |
| जिसके न हो सकने | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900- | | |
| पर प्रतिनियुक्ति | 63200 रुपये) में ऐसे जेरॉक्स | लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | |
| द्वारा या सशस्त्र बल | | | |
| कार्मिक के लिए | | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) | |
| पुनर्नियोजन द्वारा। | | या उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और | |
| | 9 | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय- अध्यक्ष; | |
| | सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक | | |
| | पूरा किया हो। | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और | |
| | | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; | |
| | <i>टिप्पण</i> 1: <i>जहां</i> ऐसे <i>कनिष्ठ</i> | | |
| | व्यक्तियों के संबंध में, <i>जिन्होंने</i> | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना | |
| | | प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत | |
| | | सरकार के मंत्रालय या विभाग का | |
| | | अवर सचिव या समतुल्य - सदस्य। | |
| | ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी | | |
| | <i>विचार किया जाएगा</i> परंतु यह तब | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति | |

तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (रु. 19900-63200) या समतुल्य में जेरोक्स ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और
- (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
- (ii) ज़ेरॉक्स या रिप्रोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण का ज्ञान।

टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने

(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- निदेशक या उप सचिव (कार्मिक)
 या उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष;
- अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या समतुल्य - सदस्य।

| [((1 | | |
|----------|--|--|
| | के पात्र नहीं होंगे। | |
| | टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| | टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| | सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के | |
| | निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|
| 6. ज़ेरॉक्स | *5 (2025) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में | अचयन। |
| ऑपरेटर। | | समूह ग, अराजपत्रित, | स्तर – 2 (रु. 19900- | |
| | *कार्यभार के आधार पर | अननुसचिवीय। | 63200)। | |
| | परिवर्तन किया जा | | | |
| | सकता है। | | | |

सकता है।

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं | लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए |
| | कक्षा उत्तीर्ण; और | | जाने वाले |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय | | | व्यक्तियों के लिए |
| | (ii) जेरॉक्स या रिप्रोग्राफी या | | दो वर्ष। |
| आदेशों के अनुसार विभागीय | फोटोकॉपियर मशीन के प्रचालन और | | |
| अभ्यर्थियों के सिए चालीस वर्ष | अनुरक्षण का ज्ञान। | | |
| तक शिथिल की जा सकती है।) | | | |

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---------------------------|---|---|-----------------|
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न | प्रोन्नति: | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता। |
| हो सकने पर सीधी भर्ती | | (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के | |
| द्वारा। | वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 | लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | |
| | (18000-56900 रुपये) में | , | |
| | | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या | |
| | | उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना | |
| | की नियमित सेवा की है और | प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; | |
| | समय-समय पर यथाविनिश्चित | , | |
| | | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और | |
| | सप्ताह का प्रशिक्षण | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; | |
| | सफलतापूर्वक पूरा किया हो। | | |
| | | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी | |
| | टिप्पण 1: <i>जहां</i> ऐसे <i>कनिष्ठ</i> | • | |
| | व्यक्तियों के संबंध में, <i>जिन्होंने</i> | | |
| | अपनी अर्हक या पात्रता सेवा | | |
| | पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए | | |
| | | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि | |
| | | के संबंध में विचार करने के लिए) | |
| | में भी <i>विचार किया जाएगा</i> | · · · | |
| | परंतु यह तब तक जब <i>कि</i> | | |
| | | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या | |
| | | उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना | |
| | अर्हक या पात्रता सेवा के <i>आधे</i> | • | |
| | <i>से अधिक</i> से <i>या दो वर्ष</i> से, | | |
| | | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और | |
| | , , | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; | |
| | कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, | | |
| | | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी | |
| | 1 6 | 1 - / - / - / - / - / - / - / - / - / - | |

| <i>सेवा</i> पहले ही पूरी कर ली है, | मंत्रालय से भिन्न | भारत सरकार के | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति | | का अवर सचिव या | |
| के लिए <i>अपनी परिवीक्षा</i> की | समतुल्य | - सदस्य। | |
| अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर | • | | |
| ली हो। | | | |
| • | | | |
| टिप्पण 2: इन नियमों की | | | |
| अधिसूचना की तारीख पर | | | |
| नियमित आधार पर पोषक | | | |
| पदों को धारण करने वाले | | | |
| व्यक्तियों के लिए पात्रता वही | | | |
| बनी रहेगी। | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 7. सवार | *3 (2025) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में | लागू नहीं होता। |
| हरकारा। | | समूह ग, अराजपत्रित, | स्तर – 2 (रु. 19900- | |
| | *कार्यभार के आधार पर | अननुसचिवीय। | 63200) । | |
| | परिवर्तन किया जा | | | |
| | सकता है। | | | |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|-----------------|----------|
| 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। | आवश्यक : | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर साइकिल के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; | | |
| टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। | (iii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान। पदधारी यान में मामूली दोषों के मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए; और (iv) मोटरसाइकिल चालन में कम से कम तीन | | |
| | वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | | |
| | टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के | | |

| लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों | |
|---|--|
| के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने | |
| की संभावना नहीं है। | |
| | |
| टिप्पण 3: भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या | |
| दोनों का ज्ञान आवश्यक है। भर्ती के समय | |
| अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया | |
| जाता है। यदि भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को | |
| हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको अपनी | |
| परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे अर्जित करना | |
| अपेक्षित होगा। | |

| | T | | |
|----------------------|--|--|-----------------|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रतिनियुक्ति: | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि | लागू नहीं होता। |
| या सशस्त्र बल | | के संबंध में विचार करने के लिए) | |
| कार्मिको के लिए | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार | जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | |
| पुनर्नियोजन द्वारा, | या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे | - | |
| जिसके न हो सकने | अधिकारी, - | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या | |
| पर सीधी भर्ती | | उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना | |
| द्वारा। | (क) (i) जो मूल काडर या विभाग | प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; | |
| | में नियमित आधार पर सदृश पद | | |
| | धारण किए हुए है; या | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और | |
| | , , , , | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; | |
| | (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग | , | |
| | में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी | |
| | (18000-56900 रुपये) या | | |
| | 1 · · | मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव या | |
| | नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की | | |
| | सेवा की है; और | | |
| | | | |
| | (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे | | |
| | भर्ती के लिए विहित शैक्षिक | | |
| | अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। | | |
| | | | |
| | टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, | | |
| | जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के | | |
| | उसी या किसी अन्य संगठन या | | |
| | विभाग में इस नियुक्ति से ठीक | | |
| | पहले धारित किसी अन्य काडर | | |
| | बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की | | |
| | अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष | | |
| | से अधिक नहीं होगी। | | |
| | ्त जावक पहा हागा। | | |
| | टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा | | |
| | नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु | | |
| | ानयाक्त के लिए आधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की | | |
| | अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से | | |
| | | | |
| | अधिक नहीं होगी। | | |
| | गणका बन कार्णिकों के रिप | | |
| | सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए | | |
| | पुनर्नियोजन: | | |

| | सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के | |
|---|-------------------------------------|--|
| | संबंध में भी विचार किया जाएगा | |
| | जो एक वर्ष की अवधि के भीतर | |
| | सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व | |
| | में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं | |
| | और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के | |
| | लिए अपेक्षित अनुभव और विहित | |
| | अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों | |
| | का चयन किया जाता है तो उस | |
| | तारीख तक प्रतिनियुक्ति के | |
| | निबंधनों पर रखा जाएगा जिस | |
| | तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से | |
| | निर्मुक्त किया जाना है और | |
| | तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन | |
| | निबंधनों पर बने रहने दिया जा | |
| | सकता है। | |
| 1 | arai gi | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------|
| 8. वरिष्ठ | *1 (2025) | साधारण केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में | अचयन। |
| अभिलेखपाल। | | सेवा, समूह ग, | स्तर – 2 (रु. 19900- | |
| | *कार्यभार के आधार पर | अराजपत्रित, | 63200)। | |
| | परिवर्तन किया जा सकता है। | अननुसचिवीय। | | |

| (6) | (7) | (8) |) | (9) | | | (10) | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं | [:] होता। | दो वर्ष। | | प्रतिनियुत्ति | के द्वारा | या |
| | | | | | | सशस्त्र बर | त के कार्मि | क के |
| | | | | | | लिए पुनन् | र्नेयोजन द्वार | πı |
| | (11) | | | (12) | | | (13) | |
| प्रतिनियुक्ति: | | | समूह 'ग' | विभागीय पुष्टि | समिति | (पुष्टि के | लागू | नहीं |
| | | | संबंध में | विचार करने | के लिए | ए) जिसमें | होता। | |
| केंद्रीय सरकार या | राज्य सरकार या संघ | राज्य क्षेत्र | निम्नलिखि | ात | | होंगे:- | | |
| प्रशासनों के ऐसे अधि | कारी, - | | | | | , | | |
| · | | | 1. निदेश | क या उप सचिव | (कार्मि | क) या उप | | |
| (क) (i) जो मूल काड | र या विभाग में नियमित | ा आधार पर | सचिव, | इलेक्ट्रॉनिकी | और | सूचना | | |
| सदृश पद धारेण किए | ्हुए है; या | | प्रौद्योगिर्व | ो मंत्रालय | - | अध्यक्ष; | | |
| | | | | | | | | |
| (ii) जिन्होंने मूल का | डर या विभाग में वेतन | मैट्रिक्स के | 2. अवर | सचिव, इलेक्ट्रॉ | निकी अं | ौर सूचना | | |
| स्तर -1 (18000-56 | 900 रुपये) या समतुल्य | में नियमित | प्रौद्योगिर्व | ो मंत्रालय | - | सदस्य; | | |
| आधार पर नियुक्ति वे | के पश्चात तीन वर्ष की | सेवा की है; | | | | | | |
| और | | | 3. इलेक् | ट्रॉनिकी और सृ | ग्चना प्र | गौद्योगिक <u>ी</u> | | |
| | | | मंत्रालय र | <mark>से भिन्न भारत</mark> स | ारकार वे | _{मंत्रालय} | | |
| (ख) जो निम्नानुसार ध | शैक्षिक अर्हताएं और अनु | भव रखते हैं | या विभाग | ा का अवर सचि | व या सम | न तुल्य | | |
| - | _ | | | - | | सदस्य। | | |
| (i) किसी मान्य | ता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं व | न्क्षा उत्तीर्ण। | | | | | | |
| (ii) अभिलेख रख | वने का अनुभव। | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति | ते की अवधि, जिसके अं | तर्गत केंद्रीय | | | | | | |
| सरकार के उसी या वि | केसी अन्य संगठन या वि | भाग में इस | | | | | | |
| नियुक्ति से ठीक पहले | [.] धारित किसी अन्य काड | र बाह्य पद | | | | | | |

| पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
|--|--|
| टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर | |
| रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 9. बहुकार्य | *95 (2025) | (ग) साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में | लागू नहीं होता। |
| कर्मचारिवृंद। | | समूह ग, अराजपत्रित, | स्तर – 1 (रु. | |
| | *कार्यभार के आधार पर | अननुसचिवीय। | 18000- 56900)। | |
| | परिवर्तन किया जा सकता | | | ļ |
| | है। | | | |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन | लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए |
| | उत्तीर्ण। | | जाने वाले व्यक्तियों |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- | | | के लिए दो वर्ष। |
| समय पर जारी किए गए | | | |
| अनुदेशों या आदेशों के अनुसार | | | |
| विभागीय अभ्यर्थियों के लिए | | | |
| चालीस वर्ष तक शिथिल की जा | या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार | | |
| सकती है।) | शिथिल की जा सकती है। | | |
| | | | |
| टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित | टिप्पण् 2ः अनुभव संबंधी अर्हताएं | | |
| करने के लिए निर्णायक तारीख | कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए | | |
| वह होगी जो कर्मचारी चयन | कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम | | |
| आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। | प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित | | |
| | जातियों और अनुसूचित जनजातियों के | | |
| | अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा | | |
| | सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर | | |
| | कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम | | |
| | प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए | | |
| | आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए | | |
| | अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन् समुदायों | | |
| | के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध | | |
| | होने की संभावना नहीं है। | | |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--------------------|------------------------|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा। | लागू नहीं होता। | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में | लागू नहीं होता। |
| | | विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | |
| | | | |
| | | 1. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) या उप सचिव, | |
| | | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय- अध्यक्ष; | |
| | | | |
| | | 2. अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी | |
| | | मत्रालय - सदस्य; | |
| | | 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से | |
| | | उ. इलक्ट्रानका आर सूचना प्राचानका मत्रालय सभिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का अवर | |
| | | | |
| | | सचिव या समतुल्य - सदस्य। | |

[फा. सं. 01(01)/2023 – कार्मिक-III] भवनेश कुमार, अपर सचिव,

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

- **G.S.R. 114(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology Group 'C' Non-Scientific and Technical posts Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the posts of Senior Secretariat Assistant, Stenographer, Receptionist, Junior Secretariat Assistant, Senior Reprographer, Xerox Operator, Despatch Rider, Senior Record Keeper and Multi-Tasking Staff, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Scientific and Technical posts of Senior Secretariat Assistant, Stenographer, Receptionist, Junior Secretariat Assistant, Senior Reprographer, Xerox Operator, Despatch Rider, Senior Record Keeper and Multi-Tasking Staff in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology (Group 'C', Non-Scientific and Technical Posts) Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application**. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**. The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification**. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of posts. | Number of post. | Classificat | ion. | Level in pay matrix. | sel or | hether ection post non- ection post. | Age-limi | t for direct recruits. | |
|---|---|---|-------------------------|---|-----------|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 1. Senior Secretariat Assistant. | *59 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General C Service, C 'C', Gazetted, Ministerial | Group Non- | Level – 4 (Rs.25500- 81100) in the pay matrix. | No | on-selection. | (Relaxab candidate accordan or orders Government of the control of | 18 to 27 years of age. le for the departmental es up to forty years in ce with the instructions is issued by the Central lent from time to time). The crucial date for ing the age-limit shall be ertised by the Staff Commission. | |
| | l and other quar direct recruits. | | quali presc recru | ther age a ational fications cribed for dire nits will apply ase of promoted | in | Period of prif any. | robation, | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | |
| | (7) | | | (8) | | (9) | | (10) | |
| (i) graduat University; | | recognised | N | Not applicable. | | Two years frecruits. | For direct | (i) forty per cent. by promotion; | |
| minute in minute in Historia (35 words p minute con Depression Depression I | • | words per words per 0500 Key 0000 Key verage of 5 | | | | Note: There a m induction Tr at least two duration successful co of probat prescribed Central Gove | nandatory aining of o weeks for empletion ion as by the | (ii) thirty per cent. by Limited Departmental Competitive Examination;(iii) thirty per cent. by direct recruitment. | |
| or both at essential. Hindi is give time of reco | owledge of English the time of recording the option of the candidate to the candidate doe | ruitment is English or lates at the he time of | | | | | | | |

| knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period. Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | | |
|--|---|--|
| Note 3: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- | Not applicable. |
| Junior Secretariat Assistant in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with | | |
| eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time. | 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairperson; | |
| and having successfully completed two weeks training in relevant field or | (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and | |

eligibility service.

Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.

Limited Departmental Competitive Examination:

Junior Secretariat Assistant in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years of regular service and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time as on closing date of receipt of the application from the candidate.

- **Note 1:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.
- **Note 2:** The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.
- Note 3: The candidates appointed on the basis of Limited Departmental Competitive Examination have to pass the typing test, if not already done, as provided in clause (ii) in column (7) within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of competent authority.

confirmation) consisting of:-

- 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology Chairperson;
- 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology

-Member:

3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology

-Member.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------|--|--|-----|-----------------|
| 2. Stenographer. | *47 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | , | Not applicable. |

| 6. | 7. | 8. | 9. |
|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in | from a recognised board or | Not applicable. | Two years for direct recruits. |

accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(ii) Skill Test Norms-

Dictation: 10 minutes at the rate 80 words per minute transcription 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (only on computer).

Note 1: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his or her probation period.

Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualifications regarding experience relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|------------------------|-----------------|---|-----------------|
| By direct recruitment. | Not applicable. | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | Not applicable. |

| 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | |
|--|--|
| 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------|---|--|-----|-----------------|
| 3. Receptionist. | *1 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | l | Not applicable. |

| 6. | 7. | 8. | 9. |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|-----------------|
| By deputation or re-employment for Armed Forces Personnel. | Deputation: Officers of the Central Government, - | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | Not applicable. |
| | (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or | 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | |
| | (ii) Junior Secretariat Assistant in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years service rendered after appointment to the said post or equivalent in the parent cadre or department and having proficiency in English Language and; | Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |
| | (b) possession the following qualifications and experience, namely: - | | |

| (i) having proficiency in English Language. | | |
|--|---|--|
| (ii) knowledge of computer operations such as usage and operation of Personal computer, word processing, internet and emailing. | | |
| Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years. | | |
| Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. | | |
| Re-employment for Armed Forces Personnel: | | |
| The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re- | | |
| | (ii) knowledge of computer operations such as usage and operation of Personal computer, word processing, internet and emailing. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter | Language. (ii) knowledge of computer operations such as usage and operation of Personal computer, word processing, internet and emailing. Note 1: The period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re- |

| (1) | | (2) | (3 | 3) | (4) | | (5) |
|----------------------------------|---------------------------------|--|----|--------------------------|--|-----------|--------------------------------|
| 4. Junior Secretariat Assistant. | *40 (202 *Subject depende | , | | | Level – 2 (119900-63200) the pay matrix. | Rs. in | Non-selection. |
| (6) | | (7) | | | (8) | | (9) |
| Between 18 to 27 yage. | vears of | (i) 12 th class precognised board | | Yes, to the under column | extent indicated n (7). | | vo years for direct cruitment. |

(Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.

(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).

Note 1: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period.

Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualifications regarding experience relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient of candidates number belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for Note: There shall be a mandatory induction Training of at least two weeks duration successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

them.

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|-----------------|
| (i) fifty per cent. by direct recruitment.(ii) thirty per cent. by | Promotion: (a) Multi-Tasking Staff in level-1 (Rs. 18000-56900) in | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - | Not applicable. |
| Limited Departmental Competitive Examination; and | the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training | Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and | |
| (iii) twenty per cent. by Promotion. | in relevant field or area as decided from time to time. | Information Technology - Chairperson; | |
| | (b) possessing qualifications specified under clause (i) of column (7). | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |
| | eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | |
| | already completed such qualifying or eligibility service. | Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology | |
| | Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the | - Chairperson; | |
| | date of notification of these rules. Note 3: The Junior Secretariat | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | Assistant appointed on promotion have to pass the typing test as provided in clause (ii) in column (7) within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology | |

they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of competent authority.

Limited Departmental Competitive Examination:

- (i) Multi-Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Ministry of Electronics and Information Technology with three years of regular service and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time as on closing date of receipt of the application from the candidate;
- (ii) the maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years in case of general candidates and fifty years in case of the candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and
- (iii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).
- **Note 1:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.
- Note 2: The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.
- Note 3: The candidates appointed on the basis of Limited Departmental Competitive Examination have

- Member.

| to pass the typing test as | |
|-------------------------------|--|
| provided in clause (ii) in | |
| column (7) within a period of | |
| the one year from the date of | |
| appointment, failing which no | |
| annual increments shall be | |
| allowed to them until they | |
| have passed the said test or | |
| exempted under the relevant | |
| rules with the approval of | |
| Competent Authority. | |
| | |
| | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------------|---|----------------|--|----------------|
| 5. Senior Reprographer. | *2 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | Gazetted, Non- | Level – 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|-----------------|
| By promotion, failing which by deputation or reemployment for Armed Forces Personnel. | Promotion: Xerox Operators in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology | Not applicable. |
| | Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility | - Chairperson; 2.Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already | 3.Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |
| | completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility shall continue to be the same for | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) | |

persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.

Deputation:

Officers of the Central Government:

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with eight years regular service rendered after appointment to the post of Xerox Operator in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following qualification and experience:
- (iii) 12th class pass from a recognized board; and
- (iv) Knowledge of operation and maintenance of Xerox or Reprography or Photocopier machine.

Note 1: The Departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years.

consisting of: -

- 1.Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology
 - Chairperson;
- 2.Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology Member;
- 3.Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.

| for sha yea | ote 3: The maximum age-limit rappointment for deputation all be not exceeding fifty-six ars as on the closing date of ceipt of applications. | |
|--|--|--|
| | e-employment for Armed orces Personnel: | |
| to tra per rec ex dep cor off ter are Fo | retire or who are to be insferred to reserve within a riod of one year and having the quisite qualifications and perience prescribed for putationists shall also be insidered. If selected, such ficers shall be given deputation in the prescribed for meaning the given deputation in the prescribed for the date on which they is due for release from the Armed prices and thereafter they may be intinued on re-employment times. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------|---|----------------|--|-----------------|
| 6. Xerox Operator. | *5 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | Gazetted, Non- | Level – 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix. | Non- selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|---|-----------------|--------------------------------|
| Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). | (i) 12th class pass from a recognised board; and (ii) knowledge of operation and maintenance of Xerox or Reprography or Photocopier machine. | Not applicable. | Two years for direct recruits. |
| Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | | |
| | Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled | | |

| Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | |
|--|--|
|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|---|-----------------|
| By promotion, failing which by direct recruitment. | Group 'C' employees in level- 1 | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - | Not applicable. |
| | (Rs. 18000-56900) in the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time. | 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | |
| | Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |
| | | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | |
| | Note 1: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules. | 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | |
| | | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and | |

| | | Information - Member. | Technology | |
|--|--|-----------------------|------------|--|
|--|--|-----------------------|------------|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------|---|--|-----|-----------------|
| 7. Despatch Rider. | *3 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | ` | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|------------|
| Between 18 to 27 years of age. | Essential: | Not applicable. | Two years. |
| (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions | (i) 10 th class pass from a recognised board; | | |
| or orders issued by the Central Government). | (ii) possession of a valid Driving License for motor cycle; | | |
| Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | (iii) knowledge of motor mechanism. The incumbent shall be able to repair minor defects in the vehicle; and | | |
| | (iv) Experience of driving motorcycle for at least three years. | | |
| | Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | | |
| | Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |
| | Note 3: Knowledge of English or Hindi or | | |

| both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to | |
|---|--|
| the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required | |
| to acquire the same during his probation period. | |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| By deputation or reemployment for Armed Forces Personnel, failing which by direct recruitment. | Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administrations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | Not applicable. |
| | Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years. | | |
| | Note 2: The maximum agelimit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Re-employment for Armed | | |

| Forces Personnel: |
|----------------------------------|
| The Armed Forces Personnel |
| due to retire or who are to be |
| transferred to reserve within a |
| period of one year and having |
| the requisite qualifications and |
| experience prescribed for |
| deputationists shall also be |
| considered. If selected, such |
| officers shall be given |
| deputation terms up to the date |
| on which they are due for |
| release from the Armed Forces |
| and thereafter they may be |
| continued on re-employment |
| terms. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------------|---|--|--|----------------|
| 8. Senior Record Keeper. | *1 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial. | Level – 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. | By deputation or re- employment for Armed Forces Personnel. |

| (11) | (12) | (13) | |
|--|---|-----------------|--|
| Deputation: | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | Not applicable. | |
| Officer of the Central Government or State | | | |
| Government or Union territory | | | |
| Administrations, - | Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | | |
| (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or | | | |
| | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | | |
| (ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in | | | |
| level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or | | |
| department; and | Department of India from Ministry of Electronics and Information Technology | | |
| (b) possessing the educational qualifications and experience, as under – | - Member. | | |

| (iii) | 10 th (| class | pass | from | a | recognised |
|--------|--------------------|-------|------|------|---|------------|
| board. | | | | | | |

(iv) Experience in record keeping.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Re-employment for Armed Forces Personnel:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on reemployment terms.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------------|--|--|-----|-----------------|
| 9. Multi- Tasking Staff. | *95 (2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', 'Non-Gazetted Non- Ministerial. | , | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|--|-----------------|--------------------------------|
| Between 18 and 27 years. (Relaxable for the departmental | Matriculation pass from a recognised board. | Not applicable. | Two years for direct recruits. |
| candidates up to the age of forty years in accordance with the | | | |
| instructions or orders issued by | Note 1 : Qualifications are relaxable at the | | |
| the Central Government from | discretion of the Staff Selection | | |
| time to time). | Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well | | |
| Note: The crucial date for | qualified. | | |
| determining the age-limit shall | | | |
| be as advertised by the Staff | | | |
| Selection Commission. | Note 2: The qualifications regarding | | |
| | experience are relaxable at the discretion | | |

| of the Staff Selection Commission or | |
|--|--|
| competent authority, for reasons to be | |
| recorded in writing, in the case of | |
| candidates belonging to the Scheduled | |
| Castes or the Scheduled Tribes, if at any | |
| stage of selection, the Staff Selection | |
| Commission or competent authority is of | |
| the opinion that sufficient number of | |
| candidates belonging to these | |
| communities possessing the requisite | |
| experience are not likely to be available to | |
| fill up the vacancies reserved for them. | |
| | |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|------------------------|-----------------|--|-----------------|
| By direct recruitment. | Not applicable. | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - | Not applicable. |
| | | 1. Director or Deputy Secretary (Personnel) or Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; | |
| | | 2. Under Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; | |
| | | 3. Under Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. | |
| | | | |

[F. No. 01(01)/2023-Pers.III] BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.